रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012026-269634
CG-DL-E-29012026-269634

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2026/माघ 2, 1947
No. 16] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2026/MAGHA 2, 1947

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2026

फा. सं. 240/जेडओ/ एनईजेड / एमसीएम / डीईएस / 2022-23.—पाँच पूर्वोत्तर राज्यों नामतः - अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के सर्वेक्षणों का संचालन और अधिक क्रमबद्ध, समयबद्ध और मितव्ययी तरीके से करने के विषय पर सरकार द्वारा वर्ष 2007 के दौरान कभी विचार किया गया था। तद्नुसार, प्रत्येक राज्य के लिए दिनांक 01/08/2007 की अधिसूचना संख्या 0-120011/1/2004 - प्रशा· III एवम् दिनांक 12/07/2018 की अधिसूचना संख्या एन-11011/15/2018- एनएसएसओ (सीपीडी) के माध्यम से एक अनुवीक्षण समिति गठित की गई थी।

2. इस अनुवीक्षण समिति को केवल निधि प्रवाह की समीक्षा करने का ही अधिदेश नहीं दिया गया है अपितु यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनएसएस के कार्य के सम्पूर्ण प्रभाव और संपादन का आकलन भी करती है। इस व्यापक कार्यक्षेत्र तथा पूर्व सूचना के अधिक्रमण में, अनुवीक्षण समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है।

(1)	अपर महानिदेशक, एनएसओ, सी एवम क्यूसीडी, नई दिल्ली	अध्यक्ष
(2)	एनएसओ, सी एवम् क्यूसीडी, नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
(3)	एनएसओ, एचएसडी, कोलकाता के प्रतिनिधि	सदस्य

(4)	एनएसओ, ईएनएसडी, कोलकाता के प्रतिनिधि (उद्यम सर्वेक्षणों के संबंध में बैठकें)	सदस्य
(5)	एसई सर्वेक्षणों के मामलों में कार्य करने वाले एनएसओ, एफओडी नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
(6)	निदेशक, डीईएस - त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम	सदस्य
(7)	संबंधित राज्यों की राजधानियों के प्रादेशिक अध्यक्ष, इन पाँच राज्यों के एनएसओ, एफओडी	सदस्य
(8)	उप महानिदेशक, एनएसओ, सी एवम क्यू सीडी एनईजेड, गुवाहाटी	सदस्य सचिव
(1)	अपर महानिदेशक, एनएसओ, सी एवम क्यूसीडी, नई दिल्ली	अध्यक्ष
(2)	एनएसओ, सी एवम् क्यूसीडी, नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
(3)	एनएसओ, एचएसडी, कोलकाता के प्रतिनिधि	सदस्य
(4)	एनएसओ, ईएनएसडी, कोलकाता के प्रतिनिधि (उद्यम सर्वेक्षणों के संबंध में बैठकें)	सदस्य
(5)	एसई सर्वेक्षणों के मामलों में कार्य करने वाले एनएसओ, एफओडी नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
(6)	निदेशक, डीईएस - त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम	सदस्य
(7)	संबंधित राज्यों की राजधानियों के प्रादेशिक अध्यक्ष, इन पाँच राज्यों के एनएसओ, एफओडी	सदस्य
(8)	उप महानिदेशक, एनएसओ, सी एवम क्यू सीडी एनईजेड, गुवाहाटी	सदस्य सचिव

3. अनुवीक्षण समिति के विस्तृत विचारार्थ विषय निम्नांकित है:

क. सर्वेक्षण कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सहायता अनुदान के उपयोग की समीक्षा;

ख. केन्द्र सरकार द्वारा सर्वेक्षण आवश्यकताओं के संदर्भ में और अधिक सहायता अनुदान की आवश्यकता का आकलन करना;

ग. सर्वेक्षण संबंधी कार्यकलापों के लिए कार्य योजना तैयार करना;

घ. एक प्रभावी तरीके से सर्वेक्षण कार्यों का संचालन करने के लिए प्रशिक्षण और अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करना;

ङ. समय-समय पर सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना और सुधारात्मक कदम उठाना;

च. गुणवत्तापूर्ण क्षेत्रीय निरीक्षणों और सर्वेक्षण आंकड़ों की गुणवत्तापूर्ण जाँच की योजना बनाना;

छ. सर्वेक्षण कार्य, आंकड़ा प्रसंस्करण और सारणीयन का उपयोग; और राज्य प्रतिदर्श आंकडों के प्रसार की योजना बनाना;

ज. व्यय की समय-समय पर निगरानी;

4. समिति से प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करने और अपनी स्थिति रिपोर्ट और अनुशंसाए समय-समय पर केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

एम एस सुब्रमण्य राव, उप महानिदेशक

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2026

F.No. 240/ZO/NEZ/MCM/DES/2022-23.—The issue of conducting surveys of National Sample Survey in the five North- Eastern States namely- Arunachal Pradesh, Tripura, Mizoram, Manipur and Sikkim in a more systematic, time bound and economical way had been considered by the Government some time during 2007. Accordingly, a Monitoring Committee for each of the States had been constituted vide a notification No. O-120011/1/2004-Admn. III. dated 01.08.2007 & No. N-11011/15/2018-NSSO(CPD) dated 12.07.2018.

2. The mandate of Monitoring Committee is not only to review the funds flow but also assess the overall impact and execution of NSS work in NE Region. With this wider prospective and in supersession of earlier notification, the Monitoring Committee is re-constituted as under:

(1)	Additional Director General, NSO, C&QCD, New Delhi	Chairperson
(2)	Representative from NSO, C&QCD, New Delhi	Member
(3)	Representative from NSO, HSD, Kolkata	Member
(4)	Representative from NSO, EnSD, Kolkata (meetings with respect to enterprise surveys)	Member
(5)	Representative from NSO, FOD, New Delhi dealing with SE Survey	Member
(6)	Directors, DESs-Tripura, Sikkim, Manipur, Arunachal Pradesh and Mizoram	Member
(7)	Concerned State Capital Regional Heads, NSO, FOD of these five states	Member
(8)	Deputy Director General, NSO, C&QCD, NEZ, Guwahati	Member Secretary

3. The broad terms of references of Monitoring Committee are as under:

a. Reviewing the utilization of grants-in-aid received from Central Government for survey work;

b. Assessing the requirement of further sanction of grants-in-aid by the Central Government with reference to the survey requirements;

c. Preparing action plan for surveys activities;

d. Assessing training and infrastructure needs for carrying out survey work in an effective manner;

e. Reviewing progress of surveys work periodically and taking remedial steps;

f. Planning quality field inspections and quality scrutiny of survey data;

g. Planning deployment of resources for survey work, data processing and tabulation; and dissemination of state sample data;

h. Monitoring the flow of expenditure periodically;

4. The Committee is expected to meet at least once in a quarter and submit status report and recommendations to the Central Government from time to time.

M. S. SUBRAMANYA RAO, Dy. Director General

ploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.29 11:26:17 +05'30'